भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 694
सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

बेरोजगार युवाओं के आंकड़े

694. डॉ. ढालसिंह बिसेनः
श्री एस. ज्ञानतिराविमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार कितनी संख्या है;

(ख) क्या जिला स्तर पर बेरोजगार युवकों के आंकड़े रखे जाते हैं तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में जिले-वार उक्त आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जिले-वार उन व्यक्तियों के आंकड़े रखती है जिन्होंने रोजगार पाया या दूसरे राज्यों में रोजगार हेतु गए तथा यदि हां, तो विशेषरूप से मध्य प्रदेश में जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मजदूर वर्ग की संख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जिला-स्तर पर कोई योजना तैयार करने पर योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जाते हैं। 2019-20 की नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर शिक्षित जनसंख्या में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध पर दी गई हैं।

(ख) एवं (ग) जिला-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत 28.01.2022 तक 28.95 लाख लाभार्थियों को 2946.68 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 07.02.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (पीएलएफएस)

(प्रतिशत मे)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर					
	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक	सभी
आंध्र प्रदेश	3.2	7.3	16.7	24.5	28.7	4.7
अरुणाचल प्रदेश	9.8	10.5	0.0	23.9	36.5	6.7
असम	7.3	14.9	4.0	20.1	6.6	7.9
बिहार	3.9	6.6	84.9	19.9	12.3	5.1
छत्तीसगढ	2.1	6.6	34.1	17.8	12.7	3.3
दिल्ली	5.4	10.1	14.6	13.5	16.1	8.6
गोवा	6.7	11.6	14.8	15.0	15.3	8.1
गुजरात	1.7	3.5	5.2	5.3	8.8	2.0
हरियाणा	6.1	10.6	13.1	13.4	8.9	6.4
हिमाचल प्रदेश	0.9	4.5	10.8	17.9	10.8	3.7
झारखंड	6.2	9.1	24.7	14.0	14.3	4.2
कर्नाटक	3.0	3.5	9.9	19.8	10.4	4.2
केरल	6.5	17.5	13.8	28.2	24.2	10.0
मध्य प्रदेश	2.5	4.6	17.1	14.7	6.3	3.0
महाराष्ट्र	2.5	6.3	10.9	8.6	2.5	3.2
मणिपुर	7.7	12.9	9.4	18.2	21.3	9.5
मेघालय	3.8	10.0	5.9	16.6	19.7	2.7
मिजोरम	2.2	12.7	0.0	14.3	22.3	5.7
नागालैंड	26.7	34.3	34.5	46.3	56.0	25.7
ओडिशा	10.7	16.9	28.4	25.3	10.5	6.2
पंजाब	5.3	15.8	16.4	14.5	14.1	7.3
राजस्थान	3.0	5.4	14.1	22.8	16.9	4.5
सिक्किम	1.8	5.3	13.9	11.1	2.1	2.2
तमिलनाडु	3.2	6.2	16.4	20.6	13.5	5.3
तेलंगाना	4.4	9.7	12.8	26.9	24.6	7.0
त्रिपुरा	4.4	6.6	16.3	13.8	5.6	3.2
उत्तराखंड	4.5	13.8	22.0	21.9	8.3	7.1
उत्तर प्रदेश	3.5	6.3	21.2	15.6	10.6	4.4
पश्चिम बंगाल	5.8	9.1	13.9	15.2	11.5	4.6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.4	29.4	19.7	29.8	18.9	12.6
चंडीगढ़	8.9	10.5	0.0	3.0	8.2	6.3
दादरा और नगर हवेली	3.2	4.1	3.2	8.6	17.3	3.0
दमन और दीव	3.8	7.8	5.6	3.4	0.0	2.9
जम्मू और कश्मीर	5.2	14.6	49.6	21.9	21.2	6.7
लद्दाख	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1
लक्षद्वीप	7.6	27.8	29.3	35.2	0.0	13.7
पुडुचेरी	2.6	9.1	10.1	19.8	8.4	7.6
अखिल भारत	**4.1**	**7.9**	**14.2**	**17.2**	**12.9**	**4.8**

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।